राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक 1(4) ग्रावि/नरेगा/रा. स्कीम/2010 जयपुर, दिनांक:– 30/4/2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) अन्तर्गत जारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम 2006 के बिन्दु 21(2) अनुसार वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के संबंध में वर्तमान में यह प्रावधान है कि राशि रू. 50.00 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी की जा सकेगी। रू. 50.00 लाख से अधिक की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 2006 राजस्थान के उक्त प्रावधान बिन्दु संख्या 21(2) में संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत समस्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होंगे। वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जा चुकी है। प्रत्येक 50.00 लाख रूपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति की एक प्रति आयुक्त एवं शासन सचिव ईजीएस को भेजी जावे।

कार्य की लागत रू. 50.00 लाख से अधिक होने की स्थिति में कार्य की कार्यकारी संस्था पंचायती राज संस्था ना होकर कार्य की प्रकृति के आधार पर सम्बन्धित राजकीय विभाग होंगे।

भवदीय,

28/4/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. निजी सचिव माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचातयी राज विभाग।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचातयी राज विभाग।
3. निजी सचिव शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचातयी राज विभाग।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

7

परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ईजीएस